01/8/25

पत्रा० पेश हुई। वकु० उप०। अप्रार्थी सं. 6 की तलबी रजि० रशीद पेश की गई। मूल वाद में P.D. जारी करने बावत उभयपक्ष वकील द्वारा अपनी सहमति दी जा चुकी है। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब न देकर सीधे बहस करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा 53 का है एवं उभयपक्षकारान वकील द्वारा मूल वाद में P.D जारी करने बावत अपनी सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। एवं प्रा० पत्र 212 RTA में भी उभयपक्ष वकील द्वारा

उभयपक्ष कारान को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पावंद करने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner